राजस्व लोक अदालत 2017 केम्प कोर्ट डाबला

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा, जिला भीलवाड़ा

(बईजलास श्री रतनलाल रेगर आर ए एस)

प्रकरण संख्या 71/2015 प्रार्थनापत्र एलआर

अनवान

1. मदनलाल पिता जयकुमार महाजन निवासी डाबला तहसील बनेडा जिला–भीलवाडा

.... प्रार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा जिला भील0 ..... विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :::– **श्री मुरारी जोशी वकील प्रार्थी**

–:: निर्णय ::–

दिनांक 22.06.2017

1. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थनापत्र विरूद्ध विपक्षी के इस आशय का प्रस्तुत किया कि वाके ग्राम डाबला पटवार क्षैत्र डाबला तहसील बनेडा की जमाबंदी खतौनी संख्या 145 के आराजी संख्या 1287, 2238 कुल किता 2 कुल रकबा 06–17 बीघा एंव खतौनी सख्या 264 के आराजी संख्या 2050 रकबा 03–07 बीघा एंव खाता संख्या 423 के आराजी संख्या 578, 579, 583, कुल किता 03 कुल रकबा 01–18 बीघा स्थित पैत्रक आराजीयात है। किन्तु पिता की मृत्युपरान्त खुले नामान्तकरण संख्या 1282 दिनांक 20.12.2004 में प्रार्थी का नाम राजस्व कर्मचारीयों द्वारा भूलवश मदनलाल के बजाय गोपाल पिता जयकुमार महाजन दर्ज कर दिया। तथा उक्त लिपिकीय त्रुटी आजदिनांक तक अनवत जारी है जिसे संशोधन की आज्ञा प्रदान की जावें।

2. विपक्षी की जरिये सम्मन तलबी की गई। इसी दौरान प्रकरण को राजस्व लोक अदालत के केम्प डाबला के लिए पंजिबद्ध किया गया तथा विपक्षी ने प्रार्थी के प्रार्थना के प्रा.पत्र को स्वीकार किये जाने मे किसी प्रकार की कोई आपत्ती होना जाहीर नही किया तथा अपनी और से सहमति रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसे शामिल पत्रावली किया गया । प्रार्थनापत्र के समर्थन में शपथपत्र तथा साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत दस्तावेजी में प्रार्थी की सैकेन्डरी स्कुल मार्कशीट, आधारकार्ड, परिचयपत्र, भामाशाह कार्ड,विघुत कनेक्शन बिल, ग्राम पंचायत अनापत्ति प्रमाणपत्र के अध्ययन व मनन पश्चात प्रार्थी का प्रा.पत्र सहमति से लोक अदालत की भावना को मध्य नजर रखते हुए स्वीकार योग्य है प्रतीत होता है।

–:: आदेश::–

अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट विरूद्ध विपक्षी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बनेड़ा को निर्देशित किया जाता है कि वाके ग्राम डाबला पटवार हल्का क्षैत्र डाबला तहसील बनेडा की वर्तमान जमाबंदी के खतौनी संख्या 145 के आराजी संख्या 1287, 2238 कुल किता 2 कुल रकबा 06–17 बीघा एंव खतौनी सख्या 264 के आराजी संख्या 2050 रकबा 03–07 बीघा एंव खाता संख्या 423 के आराजी संख्या 578, 579, 583, कुल किता 03 कुल रकबा 01–18 बीघा मे प्रार्थी का नाम गोपाल पिता जयकुमार महाजन के स्थान **मदनलाल पिता जयकुमार** महाजन संशोधित किया जावें।

यह आदेश आज दिनांक 22.06.2017 को राजस्व लोक अदालत केम्प मुकाम बामणिया में खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रतनलाल रेगर)
उपखण्ड अधिकारी, बनेड़
जिला भीलवाड़ा

कमांक/प्रा.पत्र. एलआर /प्र.स. 71/2015 दिनांक 22.06.2017

प्रतिलिपिः–

तहसीलदार बनेडा को भेजकर लेख है कि माफिक आदेश के राजस्व अभिलेखों में पालना की जाकर मय पालना रिपोर्ट के नकल जमाबंदी सहित 30 दिन की समयावधि में प्रस्तुत करने की सुनिश्चिता करें।

उपखण्ड अधिकारी, बनेड़
जिला भीलवाड़ा